संख्या-46/2020/1596/71-2-20-02/2018 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

2- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक,
सी0बी0एम0आर0,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान/विश्वविद्यालय के गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 40/2020/855/71-2-20-02/2018, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान/विश्वविद्यालय के कार्मिको के वेतन एवं गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 62,83.32 लाख (रूपये बासठ करोड तिरासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए संबंधित संस्था के निदेशक/कुलपति के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	संस्थान/ विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0 लखनऊ।	2210-05-105-03-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	-20सहायता अनुदान-(वेतन गैर) यसामान्	3333.33
2	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश	-20सहायता अनुदान-(वेतन गैर) यसामान्	2833.33
3	सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ	-20सहायता अनुदान-(वेतन गैर) यसामान्	116.66
			योग-	62,83.32

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्था के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-618, दिनांक 30.06.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2020/1596(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।